स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

एनएचएम वित्त प्रभाग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की ओर से विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर उपर्युक्त उल्लेखित पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
रिपोर्टिंग अधिकारी	निदेशक/ उप- सचिव (एनएचएम-वित्त), अवर सचिव (एनएचएम वित्त) और वित्त नियंत्रक
पद का नाम	**वित्त डाटा विश्लेषक**
पदों की संख्या	**एक**
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

वित्त डाटा विश्लेषक (एफडीए) के पद के लिए निबंधन एवं शर्तें

1. पृष्ठभूमि

पीएम-एबीएचआईएम मई, 2020 में माननीय वित्त मंत्रालय द्वारा यथा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन हेतु कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों सहित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और जन स्वास्थ्य अवसंरचना को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करना और भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप के प्रबंधन और अनुक्रिया है।

2. उद्देश्य

केन्द्रीय स्तर पर वित्त डाटा विश्लेषक पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत डाटा प्रविष्टि, निधि जारी करना, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, उपयोग प्रमाण पत्र, वित्तीय समीक्षा दौरे करना और राज्यों द्वारा की गई की निगरानी करता है।

3. कार्य क्षेत्र

प्रमुख जिम्मेदारियां:

i. पीएम-एबीएचएम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय अनुदानों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का समेकन और संरक्षक।

ii. पीएम-एबीएचएम के अंतर्गत जारी की गई पूल/कार्यक्रम-वार निधियों का संकलन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका उपयोग।

iii. केन्द्रीय स्तर पर पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत कवर किए गए सभी कार्यक्रमों के लिए राज्यों की हिस्सेदारी के अनुरूप संकलन।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त एफएमआर और एसएफपी का संरक्षक, जिसमें संकलन और रिपोर्टिंग शामिल है।

v. यदि आवश्यक हो, तो फील्ड सत्यापन करके राज्यों, एफएमजी, एनडीसीपी और अन्य अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों को सत्यापित करने और फ्रीज करने के बाद एक ठोस तकनीकी डेटा बेस बनाना।

vi. केंद्रीय अनुदानों की विलंब स्थिति और राज्य कोषागार से एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को संबंधित राज्य के हिस्से से संबंधित आंकड़े रखना।

vii. आंकड़ों का विश्लेषण और कार्यकलाप- वार, प्रभाग-वार, राज्य-वार, तिमाही और वर्ष-वार वित्तीय एमआईएस का सृजन और राज्य-वार एफएमजी टीमों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आवंटन, रिलीज और व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक विवरणों का सृजन।

viii. संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, बजट संबंधी मामलों, सीएजी ऑडिट आदि के बारे में समय-समय पर सूचना और डेटा सहायता प्रदान करना।

ix. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोटिस की गई प्रवृत्तियों के संदर्भ में वित्त/लेखा/डाटा प्रक्रियाओं में समीक्षा और सुधार का सुझाव देना।

x. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र डाटा प्रबंधन पर प्रशिक्षण संचालन और क्षमता निर्माण करना और पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सीआरएम और अन्य समीक्षा दलों में भाग लेना।

xi. वेब सामग्री का नियमित अपडेशन और मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वीकृति आदेश अपलोड करना।

xii. पीएम-एबीएचआईएम से संबंधित सभी वित्तीय आंकड़ों की निगरानी।

xiii. समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

4. आउटपुट

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय पर कार्रवाई करना और निदेशक/ उप सचिव (एनएचएम- वित्त), अवर सचिव (एनएचएम- वित्त) वित्त नियंत्रक (कों) और वित्त विश्लेषक (कों) को कार्य में सहायता प्रदान करना।

5. अर्हता और **आयु सीमा:**

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम (ऑनर्स)/एमकॉम/एमबीए (फाइनेंस)/सीए/सीएस। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए।

6. **अनुभव**:

आवेदक को सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा डेटा प्रबंधन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम्प्यूटरीकृत लेखांकन पैकेज और अन्य संबंधित सॉफ़्टवेयर के अधिमानतः टैली, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एमएस पावर प्वाइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

7. यात्रा और निर्वाह

परामर्शदाता को राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यात्रा करते समय, परामर्शदाता समकक्ष पदों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार बोर्डिंग / लॉजिंग खर्चों के लिए एक निश्चित प्रति दिन भत्ता प्राप्त करेगा।

8. परामर्श अवधि

प्रारंभ में, अनुबंध 31 मार्च 2023 तक होगा, लेकिन प्रदर्शन और प्रभाग की आवश्यकता के अधीन, विस्तारित होने की संभावना है। पहले तीन महीने प्रायोगिक तौर पर होंगे। संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन, परामर्श पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगा और अनुबंध को विशुद्ध रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक पर नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, कंसल्टेंसी को किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को योग्यता और अनुभव के आधार पर रु.60,000/- से रु.1,20,000/- की शुल्क सीमा में एक समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

परामर्शदाता समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई राशि के अलावा, किसी भी अन्य लाभ जैसे सब्सिडी, मुआवजे या पेंशन का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता को कराधान से छूट नहीं दी जाएगी और वह

प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए जा सकने वाले किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाताओं को हाल ही के जीवन- वृत्त और प्राप्त अंतिम परामर्श भुगतान के साक्ष्य संलग्न करने चाहिए।

आवेदन करने के लिए:

उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 मई 2023 है।